

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

खण्ड-II, पंचम तल, पर्यावास भवन, भोपाल

क्रमांक 19139/विश्व बैंक/MPRCP-04/म.प्र.ग्रा.सवि.प्रा./16 भोपाल, दिनांक 07/09/2016

प्रति,

महाप्रबंधक समस्त
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वय (म.प्र.)

विषय:— एम.पी.आर.सी.पी के योजना के अंतर्गत मार्गों के डी.पी.आर के संबंध में।
संदर्भ:— इस कार्यालय के पत्र क्र 14484 दिनांक 27.06.2016, पत्र क्र 16447 दिनांक 23.07 2016 , पत्र क्र 16817 दिनांक 30.07.2016 एवं पत्र क्र 17451 दिनांक 09.08.2016

—00—

दिनांक 29.08.2016 से 02.09.2016 तक वि व बैंक के एक्सपर्ट श्री कीर्ती बंसल द्वारा प्रदे 1 के विभिन्न जिलों में डी.पी.आर की चैकिंग तथा संबधित डी.पी.आर का फील्ड वेरिफिके इन किया गया। दिनांक 02.09.2016 को मुख्यालय में वरिष्ट अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई साथ ही डी.पी.आर चैकिंग के संबध में एमपेनलड इंजिनियर्स के साथ भी चर्चा में वि व बैंक के दि 11 निर्दे 1 के अनुरूप डी.पी.आर चैकिंग के बिन्दुओं पर चर्चा हुई।

वि व बैंक के एक्सपर्ट से चर्चा उपरांत डी.पी.आर के संबध में निम्न निर्दे 1 दिए जाते हैं:—

1. जहां यातायात भार 2 msa से ज्यादा ज्यादा है, वहां यातायात के अनुसार डिजाईन के अनुरूप कस्ट तथा कैरिज वे की चौड़ाई 3.75 मीटर करना है, तथा रोड वे चौड़ाई 6.00 मीटर रहेगी।
2. वि व बैंक एक्सपर्ट द्वारा पाया गया है कि, डी.पी.आर में विभिन्न जानकारियां डेटा आदि का आपस में मिलान नहीं हो रहा है। अतः डी.पी.आर में किए गए सभी डेटा को पी.आई.यू द्वारा चैक किया जाए।
3. डी.पी.आर के साथ सो 11 सर्वे, सामुदायिक चर्चा (community consultation)के मिनिट्स (Transect walk minutes) संलग्न करने के पूर्व में भी निर्दे 1 दिये गए थे। परन्तु डी.पी.आर के परीक्षण करने पर पाया गया कि, उपरोक्त मीनिट्स नहीं लगाए जा रहे हैं। अतः (Transect walk & community consultation minutes) डी.पी.आर में अनिवार्यतः लगाए जाये। सामुदायिक चर्चा में SC, ST, BPL, महिलाओ का प्रतिनिधित्व हो तथा उनके नाम एवं हस्ताक्षर हो। पी.आई.यू के सहायक प्रबंधक, उपयंत्री तथा कंसलटेंट के नाम एवं हस्ताक्षर भी हो। जन

समुदाय द्वारा दिए गए सुझाव/ जानकारी का समावे 1 तथा दि 11 निर्दे 1 के अधीन उनका डी.पी.आर में प्रावधान होना चाहिए।

उपरोक्त सभी दि 11 निर्दे 1 डी.पी.आर कसंलटेंट को उपलब्ध कराएं।

(पी.के.झवर)

मुख्य महाप्रबंधक
(एम.पी.आर.सी.पी.)

म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

क्रमांक 19140/विश्व बैंक/MPRCP-04/म.प्र.ग्रा.सवि.प्रा./16

भोपाल, दिनांक 07

/09/2016

प्रतिलिपि:—

1. प्रमुख अभियंता मध्यप्रदे 1 ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त मुख्य महाप्रबंधक मध्यप्रदे 1 ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।
4. अधीक्षण यंत्री (तक.), ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विन्ध्याचल भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

मुख्य महाप्रबंधक
(एम.पी.आर.सी.पी.)

म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण